न्यायालय तहसीलदार गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– सुभाषचन्द (आर.टी.एस.)

मुकदमा नम्बर :– 05/2022 निर्णय दिनांक :– 17/10/2022

1. ख्यालीराम पुत्र कुशलाराम जाति समस्त जाट निवासी गिलो का बास ढाणियां भौड़की तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।
2. फुलचन्द पुत्र मुकुन्दाराम जाति समस्त जाट निवासी गिलो का बास ढाणियां भौड़की तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।
3. रामचन्द्र पुत्र श्योबक्सराम जाति समस्त जाट निवासी गिलो का बास ढाणियां भौड़की तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।
4. चन्दगीराम पुत्र श्योबक्सराम जाति समस्त जाट निवासी गिलो का बास ढाणियां भौड़की तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।
5. नेमीचन्द पुत्र श्योबक्सराम जाति समस्त जाट निवासी गिलो का बास ढाणियां भौड़की तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।
6. रविन्द्र पुत्र पुत्र श्योबक्सराम जाति समस्त जाट निवासी गिलो का बास ढाणियां भौड़की तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।
7. राधाकृष्ण पुत्र मुकुदाराम जाति समस्त जाट निवासी गिलो का बास ढाणियां भौड़की तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।

प्रार्थीगण..............

बनाम

1. विधाधर पुत्र भागीरथ जाति समस्त जाट निवासी गिलो का बास ढाणियां भौड़की तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।
2. बूंटीराम पुत्र भागीरथ जाति समस्त जाट निवासी गिलो का बास ढाणियां भौड़की तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।
3. छतुराम पुत्र गणेशाराम जाति समस्त जाट निवासी गिलो का बास ढाणियां भौड़की तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।

अप्रार्थीगण.......

<u>निर्णय प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 एवं प्रार्थना पत्र आ0 धारा 10 व 151 सी0पी0सी0</u>

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.11.04 15:07:26 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक :–

प्रकरण संक्षेप इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ पेश किया है कि राजस्व ग्राम गिलो का बास भौड़की के भूमि ख.न. 2441, 3939/2444 से होता हुआ रास्ता भूमि ख. न. 4106/2313, 4103/3379, 2294, 2295, 2296, 2297, 2300, 2301, व 2302 तक के खेतों में जाने

तहसीलदार गुढा गौड़जी

व कृषि साधन लाने ले जान हेतु प्रचलित आम रास्ता करीब 100 वर्षो से चला आ रहा है। उक्त रास्ते का उपयोग–उपभोग प्रार्थीगण वक्त बुर्जगान के समय से काम मे लेते आ रहे है। लेकिन भूमि ख.न. 4106/2313, 4103/3379 व 2299 के खातेदारान छतुराम पुत्र गणेशाराम, विधाधर, बूंटीराम पुत्रगण भागीरथ जाति जाट निवासी गिलो की ढाणी तन भौड़की के ख.न. 4106/2313, 4103/3379, व 2299 में अवस्थित कदीमी प्रचलित रास्ते को अवैध निर्माण व काश्त करके करीब 15 दिन पहले अवरूध कर दिया। जबकि भूमि ख.न. 3858/2300, 2294, से 2297, 2300 से 2302 में अवस्थित कदीमी रास्ता आज भी वर्तमान में मौके पर चालू है। भूमि ख.न. 2297 के खातेदरान ने तो अपनी सहमति से उक्त प्रचलित रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अंकित भी करवा दिया है। भूमि ख.न. 4106/2313, 4103/3379, 4103/3379, 2299 में अवस्थित प्रचलित रास्ता को इसके खातेदारान द्वारा करीब 15 दिन पहले अवरूध कर देने से इसके आगे प्रार्थीगण के भूमि ख.न. 3858/2300, 2294 से 2297, 2300 से 2302 के एंव असके आस–पास के खातेदाराना की भूमियों में वर्तमान में फसल बिजाई नही हुई है जिसमें प्रार्थीगणों का अपूर्णीय क्षति कारित हो रही है। प्रार्थीगण के परिवार कृषि पर ही निर्भर है। अतः भूमि ख.न. 4106/2313, 4103/3379 व 2299 में अवरूध किय गये कदीमी रास्ते को अतिशीघ्र खुलवाया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की जांच भू0अ0 निरीक्षक गुढागौड़जी व पटवारी पटवार हल्का भौड़की से करवाई गई। भू0अ0 निरीक्षक व पटवारी पटवार हल्का भौड़की की जांच अनुसार ग्राम गिलो का बास के भूमि ख.न. 4106/2313, 4103/3379 व 2299 की मौका जांच की गई। ख.न. 4106/2313 की खातेदारी छतुराम पुत्र गणेशाराम जाति जाट सा. देह ख.न. 4103/2379 की खातेदारी बूंटीराम पुत्र भागीरथ हि. 1/2, विधाधर पुत्र भागीरथ हि0 1/2 जाति जाट के नाम दर्ज रिकार्ड है। ख.न. 2299 की खातेदारी बूंटीराम पुत्र भागीरथ हि. 1/2, विधाधर पुत्र भागीरथ हि0 1/2 के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त ख.न. में से पूर्व में प्रचलित रास्ता था वर्तमान में खातेदारो ने फसल काश्त कर प्रचलित रास्ता डोटेड लाईन को अवरूध कर रखा है। जांच भू0अ0 निरीक्षक व पटवारी पटवार हल्का भौड़की प्राप्त होने पर प्रकरण अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नाटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामिल शामिल पत्रावली किय गये।

अप्रार्थी बूंटीराम पुत्र भागीरथ जाति जाट व छतुराम पुत्र गणेशाराम जाति जाट बावजूद तामिल नोटिस उपस्थित नही। अतः अप्रार्थीगण 02 व 03 के विरूध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी न. 01 की और से अधिवक्ता श्री अशोक स्वामी ने वकालतनामा तथा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 10 व 151 सी.पी.सी. पेश किया। एक प्रति प्रार्थीगणों को उपलब्ध कराई गई। प्रार्थीगण रविन्द्र, रामचन्द्र, चन्दगीराम, नेमीचन्द बावजुद तामिल सूचना के अनुपस्थित रहे। तथा प्रार्थी [illegible] और से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र शर्मा ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीगण, राधाकृष्ण पुत्र मुकुन्दाराम, फुलचन्द [illegible] के बयान पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.11.04 15:07:26 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी

CamScanner

बहस उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र अ0 धारा 10 व 151 सी0पी0सी0 एवं मूल प्रार्थना पत्र पर श्रवण की बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया राजस्व ग्राम गिलो का बास में खसरान नम्बर 4106/2313, 4103/3379, 2299 में प्रचलित रास्ता ...न था जो प्रार्थीगणों के बुजुर्गों के समय से प्रचलन में था। उक्त रास्ते को अप्रार्थीगणों ने बंद कर ...द्ध कर दिया है। जिसकी वजह से प्रार्थीगण अपनी जोत तक कृषि साधन नहीं ले जा पा रहें है एवं कार्य नही कर पा रहे है। श्रीमान जी अप्रार्थी विद्याधर ने प्रार्थना पत्र अ0 धारा 10 व 151 सी0पी0सी प्रार्थी को हैरान व परेशान करने की बदनियत से पेश किया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ...यपुरवाटी में विचाराधीन प्रार्थना पत्र 251 क में अप्रार्थीगण पक्षकार नहीं है। अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र ...यालय में विचाराधीन कार्यवाही को लंबित करने के लिए पेश किया है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है ...अप्रार्थी विद्याधर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 10 व 151 सी0पी0सी आर0टी0ए0 खारिज किया ...ना प्रार्थनीय है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अवरूद्ध रास्ता को खुलवाया ...ना प्रार्थनीय है। वकील प्रार्थीगण ने अपने कथन की पुष्टि हेतु न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2013 पृष्ठ संख्या 1124 से 1127 पेश किया हैं।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण ने वकील प्रार्थीगण द्वारा किये गये कथनों का खण्डन करते हुए कथन किया कि श्रीमान जी उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि से संबधित एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) आर0टी0ए0 1955 माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में विचाराधीन है तथा उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण भी एकसमान ही है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मूल पत्र झुठें एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पेश किया है। श्रीमान जी से निवेदन है कि अप्रार्थी विद्याधर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 10 व 151 सी0पी0सी आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर हस्तगत प्रकरण में आगामी कार्यवाही स्थगित रखी जाना प्रार्थनीय है एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना प्रार्थनीय हैं।

बहस पर ध्यानपूर्वक मनन करने एवं पत्रावली पर मौजूद जांच रिपोर्ट भू0अ0 निरीक्षक गुढागौड़जी व पटवारी पटवार हल्का भौड़की द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं बयान गवाहान श्री राधाकृष्ण, श्री फूलचन्द, श्री ख्यालीराम का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के बादक पाते है कि राजस्व ग्राम गिलो की ढाणी पटवार हल्का भोड़की तहसील गुढागौड़जी की सरहद में स्थित भूमि ख.न. 4106/2313, 4103/3379, 2299 के खातेदारान छतुराम पुत्र गणेशाराम, विधाधर, ... भागीरथ ने प्रचलित कदीमी रास्ते का फसल काश्त कर अवरूध कर रखा है। पत्रावली पर मौजूद अन्य ... फोटो प्रति माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मु0संख्या .../2022 के अवलोकन ... है कि हस्तगत प्रकरण एवं माननीय न्यायालय में विचारधीन प्रकरण में पक्षकारान ... में अप्रार्थी विद्याधर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 10 व 151 सी0पी0सी आर0टी0ए0 ... खारिज किया जाना एवं प्रार्थीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.11.04 15:07:26 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी

CamScanner

प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 का स्वीकार किया जाना उचित एंव ...त प्रतीत होता है। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में चस्पा होते है।

आदेश

...प्रार्थी विद्याधर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 10 व 151 सी0पी0सी आर0टी0ए0 1955 खारिज ...जाता है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा ...ा स्वीकार किया जाकर भू0अ0निरीक्षक गुढागौड़जी एंव पटवारी पटवार हल्का भौड़की को राजस्व ...लो की ढाणी के भूमि ख.न. 4106/2313, 4103/3379, 2299 में अवरूद्ध किए गये रास्ते को ...णों की जोत तक कृषि कार्य हेतु कृषि साधन लाने व ले जाने हेतु खुलवाये जाने का आदेश दिया है। तहरीर जारी हों।

17/10/2022
(सुभाषचन्द)
तहसीलदार गुढागौड़जी
तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी

...ह निर्णय आज दिनांक 17.10.2022 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

17/10/22
(सुभाषचन्द)
तहसीलदार गुढागौड़जी
तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.11.04 15:07:26 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner